तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर अहकाम की तामील

ओमप्रकाश बनाम राणाराम वगै0
राजस्व प्रार्थना संख्या 247/2021
दिनांक 6.9.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित एवं मेवाराम की और से वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने विप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस कि डाक रसीदे व ट्रेक रिपोर्ट पेश कि जो शामिल मिसल हो ।

मेवाराम की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी व आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील जवाब नहीं देकर सीधा बहस करना चाहते है। प्रार्थी वकील ने दोहरान बहस कथन किया कि प्रार्थी राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है । जिसके सम्बन्ध में जमाबंदी 2073–76 खसरा संख्या 1071/407, 1069/407 प्रस्तुत की गयी है । अतः प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि का नेखमबंदी करने का हकदार है । ऐसी स्थित में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है,मेवाराम की और से उपस्थित वकील ने दोराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा खेत खसरा संख्या 1071/407 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा व खेत खसरा संख्या 1069/407 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि सरहद मौजा बालोतरा में स्थित है, उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा गलत रूप से खातेदारी अभिलेख में अंकित हो गया है जिसको दुराशपूर्वक पाने की नियम प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जिसके सम्बन्ध में श्रीमान के न्यायालय में बअनवान मेवाराम बनाम ओमप्रकाश वगैरा राजस्व वाद संख्या 35/2014 विचाराधीन है जो प्रार्थी ओमप्रकाश के साक्ष्य हेतु मुकर्रर है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र भी राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पारित किया जा चुका है। जिसकी नकल संलग्न पेश कि गयी है । एव अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने का खारिज फरमाएं जाए।

हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया एवं उभय पक्षकार की बहस पर मनन किया बाद गौर प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित खातदेार है। जो सही है परन्तु विवादित भूमि के सम्बन्ध मे राजस्व वाद विचाराधीन होने व अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिरम आदेश होने के फलस्वरूप पत्थरगढी व नेखमबंदी का आदेश प्रदना करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विवादित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व राजस्व वाद विचाराधीन होने व अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिरम आदेश होने से इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

(सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

सेवामें,

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:02:09 IST
Reason: SelfAttested